उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग

राज्य योजना आयोग अनुभाग-2

संख्या- 2/2019(108/19)1/5/35/आ0-2/2012-16

लखनऊ: दिनांक 11 जनवरी,2019

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग राजपत्रित अधिकारी सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा-शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

''उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 2018 ''

भाग-एक-सामान्य

संक्षिप्त नाम 1 - (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग राजपत्रित अधिकारी और प्रारम्भ सेवा नियमावली, 2018 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2- उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग राजपत्रित अधिकारी सेवा में समूह 'क' एवं समूह 'ख' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं 3- जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;

(ख) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य अनु सचिव के पद के सम्बंध में राज्यपाल से है और अनुभाग अधिकारी के पदों के सम्बंध मेंसरकार के नियोजन विभागके प्रमुख सचिव से है;

(ग) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(घ) 'संविधान' का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(ड़) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(च) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(छ) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पदपर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

(ज) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(झ) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग राजपत्रित अधिकारी सेवा से है;

(ञ) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो, और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हों तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(ट) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

<u>भाग-दो-संवर्ग</u>

सेवा का संवर्ग

4- (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उप-नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है:

पदों के नाम	पदों की संख्या		
	स्थायी	अस्थायी	कुल
अनुभाग अधिकारी	02	-	02
अनु सचिव	-	01	01

परन्तु यह कि -

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

<u>भाग-तीन-भर्ती</u>

भर्ती का स्रोत

5. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:

(एक) अनुभाग अधिकारी- मौलिक रूप से नियुक्त प्रवर वर्ग सहायकों में से, जिन्होनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(दो) अनु सचिव- मौलिक रूप से नियुक्त अनुभाग अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(2) यदि किसी कनिष्ठ व्यक्ति को पात्रता के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तो उससे ज्येष्ठ व्यक्ति को भी, इस तथ्य के होते हुए भी कि उसने स्वयं अपेक्षित सेवा अवधि पूरी नहीं की है, उसमें सम्मिलित किया जायेगा।

आरक्षण 6. भिन्न रूप से योग्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण अधिनियम और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार होगा।

भाग-चार-भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण 7. नियुक्ति प्राधिकारी, भर्ती वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या को अवधारित करेगा।

अनुसचिव, अनुभाग अधिकारी के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

8. (1) अनु सचिव और अनुभाग अधिकारी के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिये) नियमावली, 1992 के उपबंधों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से, समय -समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड नियमावली, 1994 में निर्धारित मानदण्ड के आधार पर की जायेगी।

टिप्पणी-चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिये अधिकारियों का नाम निर्देशन, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 7 के अधीन किये गये आदेश के अनुसार किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उप-नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति, चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भाग-पाँच-नियुक्ति और ज्येष्ठता

नियुक्ति 9. (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम, उसी क्रम में लेकर जिसमें वे नियम-6 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्ति करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों को उसी ज्येष्ठता के क्रम में रखा जायेगा जैसा कि यथास्थिति चयन में अवधारित किया गया हो, या उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया हो।

ज्येष्ठता 10. सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग-छः-वेतन इत्यादि

वेतनमान 11.(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा कि जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नानुसार दिये गये हैं:-

पद का नाम	वेतनमान
अनुभाग अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स स्तर-8; रू0 47600-151100/-
अनु सचिव	वेतन मैट्रिक्स स्तर-11; रू0 67700-208700/-

भाग-सात-अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन 12. किसी पद पर या सेवा के लिए लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं अन्य सिफारिशों पर चाहे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 13. ऐसे विषयों, के सम्बन्ध में जो विर्निदिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति, राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत् सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता 14. जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लागू नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है।

व्यावृति 15. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों, यथा अन्य पिछड़े वर्गों, और भिन्न रूप से योग्य व्यक्तियों के लिए उपबंध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

(दीपक त्रिवेदी)
अपर मुख्य सचिव
नियोजन विभाग।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।